उत्तर प्रदेश शासन
लोक निर्माण अनुभाग-5
संख्या-138/2025/आई1014336/370आ0-23-5002-002-43-2024
लखनऊ : दिनांक 04 जुलाई, 2025

शुद्धि- पत्र

चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-55 राजस्व लेखा मद के लेखाशीर्षक **2216-07-053-05-00-29 "आवासीय भवनों का अनुरक्षण" मद** के अन्तर्गत शासनादेश सं0-135/2025/आई-1011411/001-410आ0-23-5002-002-43-2024, दि0 02.07.2025 द्वारा कुल 18 कार्यों हेतु अवशेष धनराशि के सापेक्ष रू0 127.08 लाख(रू0 एक करोड़ सत्ताईस लाख आठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 02.07.2025 में अंकित तालिका के क्रमांक-04 पर उल्लिखित कार्य "पूल्ड हाउसिंग योजनान्तर्गत बलिया में टाइप-2 के 32 अदद् आवासों के पुन: विद्युतीकरण का कार्य(09 से 20), (45 से 52), (53 से 64)" **के स्थान पर** "पूल्ड हाउसिंग योजनान्तर्गत बलिया में निर्मित टाइप-2 के भवनों(आवास सं0-53 से 64 तक) के अनुरक्षण का कार्य" पढ़ा जाय।

शासनादेश दिनांक 02.07.2025 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा शेष अंश यथावत रहेंगे।

रवि शंकर मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या:-138/2025/आई1014336/370आ0(1)/23-5-2025, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- नोडल अधिकारी(बजट), लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
4- जिलाधिकारी बलिया।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बलिया।
9- मुख्य अभियन्ता(भवन)/(वि0/यॉ0), लो0नि0वि0, लखनऊ।
10- मुख्य अभियन्ता, आजमगढ़ क्षेत्र, लो0नि0वि0, आजमगढ़।
11- अधीक्षण अभियन्ता, बलिया वृत्त, लो0नि0वि0, बलिया।
12- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बलिया।
13- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/लो0नि0अनु0-10/श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
रवि शंकर मिश्र
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in